न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वादपत्र संख्या : 69/2021
GCMS No. : 2021/127

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. बगदाराम पुत्र बचनाराम कौम कुमावत
निवासी निमाज तहसील– जैतारण
2. जोगाराम पुत्र हराराम कौम कुमावत
निवासी– समौखी तहसील– जैतारण
3. छगाराम पुत्र धोकलराम कौम– कुमावत
निवासी– समौखी तहसील– जैतारण
4. ओमप्रकाश पुत्र चतुरभुज कौम ब्राह्मण
निवासी– निमाज तहसील– जैतारण
5. कमलादेवी पत्नी बगदाराम कौम कुमावत
निवासी– निमाज तहसील– जैतारण

राजस्व वादपत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू – : 08.06.2021

उपस्थितः– 1. सरकारी पैरोकार राज, उपस्थित।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 02/03/2022

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल **खसरा नम्बर 385 रकबा 06–19 बीघा किस्म चाही चारम एवं खसरा नम्बर 387/3 रकबा 0–08 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल खसरा खसरा 07–07 बीघा मौजा निमाज प्रथम** में स्थित है। उक्त आराजी का वादी भूमिधारी(लैण्ड होल्डर) है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 व 05 ने जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर **आवासीय कॉलोनी काटकर** खर्द बुर्द कर रहें है। जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है। प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो [illegible] करनें व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य के कारण [illegible] धारा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्था[illegible] जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिये बिनाय मुखासमत दिनांक 10.04.2021 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का निमाज प्रथम को वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन [illegible]त धारा 01 वादपत्र से अवैध रूप से **अकृषि(आवासीय कॉलोनी काटकर)** कार्य करनें की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। इस वादपत्र को सुनने का हक अदालत को धारा 177, 92क, आर.टी.

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

एक्ट 1955 के तहत है। अतः वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है:- (क) वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करें। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आर.टी.एक्ट. के तहत दिलाई जावें।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या एक की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब वादपत्र पेश किया गया जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 06 ने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि वाद पद के पद संख्या एक सही होने से स्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या दो का जवाब है कि उक्त पद में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दा की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 433/16 में अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर प्रकार उपभोग एवं काश्त करता आ रहा है, मौके पर उक्त मौके पर उक्त भूमि में किसी प्रकार का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग नहीं लिया जा रहा है। राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी की शर्तो का किसी प्रकार से उंलग्न नहीं किया है तथा मौके पर किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं किया जा रहा है ना ही राजस्थान सरकार को राजस्व नुकशान कारित किया है। वादपत्र के पद संख्या तीन का जवाब है कि उपरोक्त पद में वर्णित तथ्य गलत बेबुनियाद है जो अस्वीकार है। जवाब देहन्दा ने उक्त भूमि को केवल मात्र कृषि भूमि को केवल मात्र कृषि भूमि के रूप में ही उपयोग कर रहा है। अकृषि कार्य के रूप में उपयोग नहीं कि जा रही है। इसलिये भी यह पद अस्वीकार हैं। वादपत्र के पद संख्या चार का जवाब है कि जवाब देहन्दा के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि जवाब देहन्दा ने उक्त आराजी पर किसी प्रकार के भू खण्ड नहीं बनाये हैं। उक्त आराजी केवल कृषि कार्य योग्य हैं तथा उक्त आराजी पर कृषि कार्य ही किया जा रहा है। इसलिये वाद कारण के अभाव में वादी का वाद खारिज योग्य है वादी ने केवल मात्र झूठी शिकायत के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है। जिसे खारिज फरमाया जावें। वादपत्र के पद संख्या पांच का जवाब है कि उक्त पद कानूनन होने से गौर अदालत बाला के हैं। वादपत्र के पद संख्या छः का जवाब है कि वादी जवाब देहन्दा के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है क्योंकि जवाब देहन्दा अपनी खरीद सुदा कृषि भूमि को केवल मात्र कृषि कार्य के रूप में काम ले रहा है तथा टिनेन्सी एक्त की शर्तो का किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं किया है। इसलिये जवाब देहन्दा को बेदखल किया जाना व उसकों स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। इसलिये वादी का वादपत्र काबिले खारिज के होने से खारिज फरमावें। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाब देहान्दा के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावें एवं वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या एक से पांच द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या एक से पांच ने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादीगण कृषि कार्यो में उपयोग ले रहे है व मौके पर कोइ आवासीय कॉलोनी नहीं है। मात्रा प्रतिवादीगण ने जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये मेडबन्दी कर वृक्षारोपण किया। कोई कॉलोनी वगैरा का निर्माण नहीं किया है और न ही टीनेन्सी शर्तो को भंग

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.06.14 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

किया है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में कोई हानिप्रद कार्य नहीं किया हैं। वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई बिनाय वाद पैदा नहीं होता है। अतः वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करनें का हकदार नहीं है।

हल्का पटवारी निमाज एवं भू. अ. निरीक्षक वृत. निमाज द्वारा नवीनतम फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.12.2021 को प्रस्तुत की गई जो सामिल मिसल की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही, भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार हैः-

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण जो वादग्रस्त आराजी मौजा निमाज प्रथम की खसरा संख्या 385 रकबा 06-19 बीघा किस्म चाही चारण एवं खसरा संख्या 387/3 रकबा 00-08 बिस्वा किस्म चाही प्रथम जो कि कृषि भूमि है, के अभिलिखित खातेदार है द्वारा वादग्रस्त आराजी का बिना विधिक प्रक्रिया आवासीय कॉलोनी काटकर खुर्द बुर्द कर रहे हैं तथा टिनेन्सी शर्तो को भंग कर हानिप्रद कार्य कर रहें। अतः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावें तथा इन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें, की वे वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करें।

2. वादपवत्र के साथ प्रस्तुत पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक निमाज प्रथम की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 10.04.2021 के अनुसार खातेदारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी के चारो ओर चारदीवारी का निर्माण कर प्लॉटिंग आदि कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग आंरभ कर दिया है।

3. वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2077 के अनुसार प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है।

4. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार प्रतिवादीगण जो कि वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है, द्वारा केवल अपनी कृषि भूमि एवं कृषि उपज की सुरक्षा हेतु भूमि के चारो ओर चारदीवारी का निर्माण करवाया गया है जोकि किसी भी दृष्टि से अकृषि कार्य की श्रेणी में नही आता है, न ही मौके पर किसी प्रकार से कॉलोनी आदि का निर्माण किया गया है।

5. वादग्रस्त आराजी की भू अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी निमाज प्रथम द्वारा दिनांक 23.12.2021 को वादग्रस्त आराजी की मौके पर तैयार मौका रिपोर्ट जिसे पर प्रतिवादीगण खातेदारान् के भी हस्ताक्षर है एवं मौके के फोटोग्राफस के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वर्तमान में चारो ओर चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है एवं वर्तमान में प्लॉटिंग नहीं हो रखी है। खसरा संख्या 385 व 387/3 में प्लॉटिंग के पीलर(पत्थर) इत्यादि नहीं लगा रखे है। मौके के फोटोग्राफस के अनुसार भी वादग्रस्त आराजी के चारो ओर पक्की चारदीवारी दृष्टिगोचर है। भूमि मौके पर खाली दिखाई दे [illegible] कुछ वृक्ष इत्यादि खड़े है।

6. *धारा 177 अहितकर कार्य या शर्त-भंग के लिए बेदखली* [illegible] पर अभिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा :-

(क) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर जो उस जोत में की भू[illegible] के लिए अहितकर हो या जिस प्रायोजन के लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी, उससे अंतर्गत हो, या

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.06.14 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

(ख) इस आधार पर कि उसनें या उससे धारण करनें वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है। जिसके भंग करनें पर वह विशेष संविदा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं हैं, के अनुसार बेदखली का दायी होः

परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस धारा के अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत केवल खातेदार द्वारा किये गये ऐसे कार्य जो उसकी कृषि भूमि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हो या ऐसा कार्य जो भूमि प्रयोजन के विपरीत हो, कि दशा मे ही बेदखली की जा सकती है।

7. वादग्रस्त आराजी की उभयपक्ष की उपस्थिती में तैयार नवीनतम मौका रिपोर्ट एवं मौके के फोटोग्राफस से यह स्पष्ट है कि खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी के चारो ओर पक्की चारदीवारी का निर्माण करवाया गया तथा जमीन मौके पर खाली पड़ी है। मौके पर किसी प्रकार के पक्के निर्माण या कॉलोनी, प्लॉटिंग इत्यादि नहीं पाई गई, न ही ऐसा कोई दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य रेकॉर्ड पर उपलब्ध है जिससे यह विश्वास करनें का हेतुक हो की खातेदारान् द्वारा कृषि भूमि पर अहितकर कार्य किया जा रहा है। खातेदारान् द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के चारो ओर तारबन्दी, मेड़बन्दी, चारदीवारी का निर्माण करना स्वयं के निवास एवं पशुशाला आदि तथा अनाज एवं चारा भण्डारगृह का निर्माण करना कृषि कार्य की श्रेणी में आता न की अकृषि कार्य में। अतः हस्तगत वादपत्र वखूबी साबित नहीं होने तथा खातेदारान् द्वारा काश्तकारी शर्तो का उल्लंघन किया जाना साबित नहीं होने के कारण खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः निष्कर्षतः वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
उपजिला–पाली

निर्णय आज दिनांक 02/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
उपजिला–पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested